



-प्रेस नोट-

दिनांक 12-08-2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबन्द साइबर टीम द्वारा आनलाइन साइबर ठगी के शिकार हुए पीडित के खाते में 62508/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।**

अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2025 को वादी श्री वक्कार अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी मौहल्ला खानकाह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के खाते से 350000/-रुपये इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधडी करके साइबर ठगी के सम्बन्ध में दिनांक 13.06.2025 को थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 377/2025 धारा 318(4) बीएनएस 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत की कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी धनराशि में से 158000/- रुपये अलग अलग बैंको में होल्ड कराये गये थे जिनमें से बैंक आफ बडौदा जामनगर गुजरात में होल्ड 62508/- रुपये पीडित श्री वक्कार अहमद के खाते में वापस धनराशि वापस करायी गयी है। शेष धनराशि वापस कराने हेतु विधिक कार्यवाही प्रचलित है। पीडित द्वारा थाना देवबन्द साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

**धनराशि बरामद कराने वाली साइबर टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री सतेन्द्रपाल सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. स0उ0नि0 (कम्प0आप0 ग्रेड-बी) रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.08.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, वारण्टी/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.08.2025 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर अभियुक्त कार्तिक चौहान पुत्र राजवीर चौहान निवासी ग्राम जहानपुर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर को ग्राम जहाँनपुर के जंगल में समाजवादी अभिनव स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कार्तिक चौहान उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा देशी 12 बोर व एक कारतूस जिन्दा व एक कारतूस खोखा 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 81/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

कार्तिक चौहान पुत्र राजवीर चौहान निवासी ग्राम जहानपुर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण-**

- 01 देशी तमंचा 12 बोर
- 01 कारतूस जिन्दा 12 बोर
- 01 कारतूस खोखा 12 बोर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री विनोद तेवतिया थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।
2. का0 686 अंकित तोमर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.08.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तरकर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 136 ग्राम अवैध चरस बरामद-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.08.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा नवादा रोड से फतेहपुर जट्ट जाते समय सन साईन स्कूल के पास से अभियुक्त **विनय पुत्र अरूण शर्मा निवासी गली न0 3 टैगोर स्कूल के पास दुर्गापुरी कालोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विनय उपरोक्त के कब्जे से 136 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 372/2025 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

➤ विनय पुत्र अरूण शर्मा निवासी गली न03 टैगोर स्कूल के पास दुर्गापुरी कालोनी थाना सदर बाजार, सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण –**

➤ 136 ग्राम अवैध चरस

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
2. है0का0 430 सतपाल थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.08.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल**

**210 ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.8.2025 को चैकिंग/गस्त के दौरान थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त समीर पुत्र सगीर अहमद निवासी हबीबगढ थाना कोतवाली देहात सहारनपुर हाल पता दर्जियों वाली गली, रायवाला थाना मंडी जनपद सहारनपुर को जे.वी. जैन कालेज के पीछे गली खाताखेडी वाले तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त समीर उपरोक्त के कब्जे से 210 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 309/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

- समीर पुत्र सगीर अहमद निवासी हबीबगढ थाना कोतवाली देहात सहारनपुर हाल पता दर्जियों वाली गली, रायवाला थाना मंडी जनपद सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण-**

- 210 ग्राम अवैध चरस

#### **गिरफ्तार अभियुक्त समीर का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 044/2020 धारा 379/411/420/482 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 47/2020 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 49/2020 धारा 41 सीआरपीसी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 165/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 271/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 320/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 797/2019 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 राहुल शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



दिनांक:- 12.08.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर**

**नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4200/- रुपये बरामद-**

अवगत कराना है कि दिनांक 02.02.25 को वादी रहमान पुत्र इकराम निवासी मण्डी समिति रोड, इन्द्रा चौक, बिसातियो का मदरसा, गली नं0 9, थाना मण्डी, सहारनपुरा की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाँदी के जेवरात 750 ग्राम, सोने के जेवरात 5 ग्राम, 25000/- रुपये चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 61/25 धारा 331(4)/305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नकबजन/अभियुक्त फुरकान पुत्र इकराम निवासी मौहल्ला शैखा मैदान थाना झिझाना जनपद शामली हाल निवासी बरकत कालोनी खाताखेडी थाना मंडी सहारनपुर को सरकारी कमरे के सामने चांद कालोनी की ओर जाने वाली गली से गिरफ्तार किये गया। अभियुक्त के कब्जे से 4200/- रुपये मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि अब से लगभग 06 माह पूर्व मैंने मंसूर कालोनी गली नं0-09 में रात के समय बंद घर से कुछ रुपये व सामान चोरी किया था, चोरी के समय केवल कुछ चाँदी का सामान और कुछ पैसे मिले थे, चाँदी का सामान मैंने एक चलते फिरते व्यक्ति को बेच दिया था, और जो उसके पैसे मिले थे वह सब पैसे नशा व शराब में खर्च कर दिये उसी चोरी के 4200/- रुपये बचे हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

➤ फुरकान पुत्र इकराम निवासी मौहल्ला शैखा मैदान थाना झिझाना जनपद शामली हाल निवासी बरकत कालोनी खाताखेडी थाना मंडी सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 4200 रुपये

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 284/25 धारा 4/25 भाद0वि0 थाना कैराना शामली
2. मु0अ0सं0 1112/2017 धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम थाना झिझाना शामली
3. मु0अ0सं0 211/19 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना झिझाना शामली
4. मु0अ0सं0 29/20 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 61/25 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 552 हरेन्द्र थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.08.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 70 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद व 180 लीटर लहन किया नष्ट-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अवैध मदिरा के निर्माण/बिक्री/तस्करी के अपराधो मे संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस द्वारा ग्राम सावन्तखेडी से दिनांक 12.08.2025 को 01 अभियुक्त **अमित पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम सावन्तखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को 70 लीटर अवैध कच्ची शराब व मय शराब कसीदगी के उपकरणो के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके से बरामद करीब 180 लीटर लहन को नष्ट कराया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 169/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

➤ अमित पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम सावन्तखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण**

➤ 70 लीटर अवैध कच्ची शराब

➤ कच्ची शराब बनाने के उपकरण (ड्रम,कैन तसला, बाल्टी प्लास्टिक कैन आदि)

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-**

➤ श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

➤ उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

➤ हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

➤ हे0कां0 594 मौ0 आबिद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

➤ हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 12.08.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त, कब्जे से 106 ग्राम अवैध चरस बरामद।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.08.2025 को कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान बाल्मिकी बस्ती जनता रोड के सामने से अभियुक्त **आरिफ पुत्र असलंम निवासी मेहराज मस्जिद नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 106 ग्राम अवैध चरस बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 163/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1.आरिफ उपरोक्त व एक अन्य फरार अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

➤ आरिफ पुत्र असलंम निवासी मेहराज मस्जिद नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 106 ग्राम अवैध चरस

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 122 संजय कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.08.2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना रामपुर मनिहारन, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से **ठगी गयी** **कुल 18000/- रुपये की शत प्रतिशत धनराशि** पीडित के खाते में करायी गयी वापस।

अवगत कराना है कि दिनांक 20.07.25 को शिकायतकर्ता श्री अमित कुमार पुत्र धनप्रकाश नि0 मौ0 कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर द्वारा आनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 18000/- रुपये की धनराशि उग लेने के सम्बन्ध में साइबर हैल्पलाईन वैबसाईट पर शिकायत सं0 33107250080279 दर्ज करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतू जन-मानस को जागरूक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.07.2025 को थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित श्री अमित कुमार पुत्र धनप्रकाश नि0 मौ0 कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 18000/- रुपये की धनराशि को विधिक कार्यवाही कर अमेजोन (शापिंग वैबसाईट) में होल्ड कराया गया था। दिनांक 12.08.2025 को थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित के साथ हुई 18000/- रुपये की साइबर ठगी के शत प्रतिशत 18000/- रुपये पीडित के खाते में वापस कराये गये। पीडित द्वारा ठगी **गयी रकम** के 18000/- रुपये की धनराशि खाते में वापस पाकर थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया।

#### वापस करायी गयी धनराशि-

➤ 18000/- रुपये

#### साइबर ठगी के रुपये वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 नेहा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर आपरेटर नमन शर्मा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

**CAUTION-** किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या [WWW.CYBERCRIME.GOV.IN](http://WWW.CYBERCRIME.GOV.IN) पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये तथा साइबर अपराध होने पर थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर के सीयूजी मो0न0- 7839876635 व साइबर सैल के सीयूजी नम्बर 7417754148 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त करें।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.08.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली नगर, पुलिस द्वारा आनलाईन जुआ खेलने वाले 07 अभियुक्तगण**

**गिरफ्तार, कब्जे से 6500/- रुपये नकद तथा 09 मोबाईल फोन बरामद-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व जुआ खेलने वालों अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 12.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर आनलाईन जुआ खेलने वालों को **होटल प्रेसीडेन्ट के कमरा नं0-207 व 208 से 1. रिहान पुत्र फैजान निवासी निकट जुम्मा मस्जिद थाना ननौता जनपद सहारनपुर 2.मौहम्मद उस्मान पुत्र मौहम्मद फुरकान निवासी नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 3. मोहन उर्फ मुन्नू पुत्र जतिन्दर निवासी लक्ष्मीनगर अम्बाला थाना-सेक्टर-09 (हरियाणा), 4. शुभम पुत्र राजवीर निवासी बुड्ढाखेडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 5. रिजवान पुत्र जाहिद हसन निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर 6.अमित पुत्र ऋषिपाल निवासी न्यू नवीन नगर, शिवाजी नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 7. अनिल पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी हसनपुर चुंगी मन्दिर वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से **6500/- रुपये नकद तथा 09 मोबाईल फोन बरामद** हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध **थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0- 162/25 धारा- 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत** किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो को जुआ खेलने का शौक है। आज हम एक होटल में आनलाईन जुआ खेल रहे थे कि पुलिस ने जुआ खेलते हुए हमें पकड़ लिया है। हमारे पास से 6500 रुपये व 09 मोबाईल फोन मिले है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. रिहान पुत्र फैजान निवासी निकट जुम्मा मस्जिद थाना ननौता जनपद सहारनपुर
- 2.मौहम्मद उस्मान पुत्र मौहम्मद फुरकान निवासी नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मोहन उर्फ मुन्नू पुत्र जतिन्दर निवासी लक्ष्मीनगर अम्बाला थाना-सेक्टर-09 (हरियाणा),
4. शुभम पुत्र राजवीर निवासी बुड्ढाखेडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. रिजवान पुत्र जाहिद हसन निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
6. अमित पुत्र ऋषिपाल निवासी न्यू नवीन नगर, शिवाजी नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. अनिल पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी हसनपुर चुंगी मन्दिर वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

- 6500/- रुपये नकद
- 09 मोबाईल फोन

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 आजाद सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 रविन्द्र धामा, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
4. उ0नि0 नरेश सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
5. उ0नि0 मनोज कुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
6. का0 1354 अभिषेक, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
7. का0 ब्रिजेश कुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
8. का0 1485 रोहित कुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
9. का0 2017 चिराग थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
10. का0 1438 धर्मेन्द्र राणा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.08.2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा जैविक खाद प्लांट लगाने व किसानों को निवेशित रकम पर दोगुना मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले 02 शांतिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 04 मोबाइल फोन, 01 लाख रुपये नगद व कूटरचित दस्तावेज बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2025 को वादी श्री गुरजीत सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम शिवपुर पोस्ट खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण सुशील व तीन अन्य आदि द्वारा वादी से जैविक खाद का प्लांट लगाने के नाम पर करीब 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर पैसे लेने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 182/25 धारा 3(5)/318(4)/316(2)/338 /340(2)/336 (3)/351(2)/61(2)(क) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जैविक खाद प्लांट लगाने के नाम पर किसान से धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्तगण **1. संजीव कुमार पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बालू माजरा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 2. सुशील पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को देवबन्द रोड ठसका मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 04 मोबाइल फोन, एक लाख रुपये नगद व कूटरचित फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध जनपद सहारनपुर के अन्य थानों पर भी विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण व उनके सहयोगियों के बैंक खातों व अन्य अवैध सम्पत्तियों की भी जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि पहले हम दोनों मिलकर खेती में प्रयोग होने वाली दवाई व खाद की कम्पनी में सेल्समैन का कार्य करते थे। वर्ष 2023 में हमने जय एग्रो बायो नाम से एक कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। जिसके द्वारा हम खेती की जैविक कीटनाशक दवाई बनाकर बेचते थे, जिससे हमें थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता था। जनवरी 2024 में हमने एक नई कम्पनी जय एग्रो बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सहारनपुर में न्यू आवास विकास शाकुम्बरी विहार में खोली थी, जिसका हम दोनों सुशील व संजीव के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस कम्पनी में हमारे तीन अन्य साथी भी थे। हम दोनों व हमारे तीन अन्य साथियों ने मिलकर एक स्कीम चलायी जिसमें हम किसानों से उनके खेतों में हमारी कम्पनी द्वारा ढाई लाख की एक यूनिट जैविक खाद लगाने तथा उनके द्वारा निवेश की गयी रकम के बदले में 25 महीने तक प्रत्येक महीने बीस हजार रुपये देने का वादा कर जैविक खाद को स्वयं कम्पनी के द्वारा खरीद लेने को बता कर

किसानों से निवेश कराते थे। कोई भी किसान ढाई लाख की एक यूनिट के हिसाब से अपने खेत में जितनी चाहे उतनी यूनिट लगवा सकते था। इसी तरह से हम लोगो ने कई किसानों व अन्य व्यक्तियों से जैविक खाद की यूनिट लगाने व बाद में 25 महिने तक प्रतिमाह बीस हजार रुपये देने का प्रलोभन देकर उनसे रुपये लिये थे। हमने किसानों को अपने विश्वास में लेने के लिये कुछ किसानों के खेतों में जैविक खाद की यूनिट लगायी थी और कुछ महिने उनके खाते में रुपये भी भेजे थे। हम किसानों से रुपये हमारी जय एग्रो कम्पनी बायो साईन्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते व नगद में भी लेते थे। हम सभी ने इस स्कीम के तहत आये रुपयो को आपस में बराबर-बराबर बाँट लिया था। हमने कई किसानो व अन्य व्यक्तियों से जैविक खाद का प्लांट लगाने के नाम पर ली गयी रकम से अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम पर कार,प्लाट व अन्य सामान खरीदते थे। जब भी कोई किसान या अन्य व्यक्ति हमसे जैविक खाद के प्लांट के बारे में पूछता था तो हम उन्हें कोई बहाना बताकर प्रोजेक्ट में देरी होना बता देते थे।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

1. संजीव कुमार पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बालू माजरा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. सुशील पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

### **बरामदगी का विवरण-**

- 04 मोबाइल फोन
- 1,00,000/- रुपये नगद
- फर्जी कूटरचित दस्तावेज व मोहर

### **गिरफ्तार अभियुक्त संजीव का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0स0 339/25 धारा 318(4),316(2),352,76 बीएनएस व 3(1)द, 3(1) ध एससी एसटी एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0स0 233/25 धारा 318(4),316(2),352,61(2), बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0स0 110/25 धारा 318(2),316(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0स0 39/25 धारा 316(2),318(4),336(3),338, 340(2), 351(3),61(2),318(2),316(2) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर
5. मु0अ0स0 317/25 धारा 318(4),316(2) बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर
6. मु0अ0स0 111/19 धारा 406 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. मु0अ0स0 188/25 धारा 318(4),316(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
8. मु0अ0स0 73/25 धारा 318(4),316(2),351(2),352,61(2), बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर
9. मु0अ0स0 182/25 धारा 3(5)/318(4)/316(2)/338/340(2)/336(3)/351(2)/61(2)ए बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर

### **गिरफ्तार अभियुक्त सुशील का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0स0 339/25 धारा 318(4),316(2),352,76 बीएनएस व 3(1)द, 3(1) ध एससी एसटी एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0स0 233/25 धारा 318(4),316(2),352,61(2), बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0स0 39/25 धारा 316(2),318(4),336(3),338, 340(2), 351(3),61(2),318(2),316(2) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर

4. मु0अ0स0 317/25 धारा 318(4),316(2) बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर
5. मु0अ0स0 188/25 धारा 318(4),316(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
6. मु0अ0स0 73/25 धारा 318(4),316(2),351(2),352,61(2), बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर
7. मु0अ0स0 182/25 धारा 3(5)/318(4)/316(2)/338/340(2)/336(3)/351(2)/61(2)ए बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर